SHRI RAM INTERNATIONAL SCHOOL

PANWARI, SIKANDRA (AGRA)

Reg No. 13440-14 Date. 10-4-17

To

The Basic Shiksha Adhikari

Agra

Subject : In the reference to application in C.B.S.E.

Sir,

It is know that shri Ram International School Panwari Agra is approved by Basic Shiksha Adhikari. It has decided in the meeting of management committee that the next approval should be affiliated to C.B.S.E. Information letter has posted to you in this reference.

Your's sincerely

Manager

Shri Ram International School

Panwari Agra

Manager/Secretary
Shri Ram International School
Panwari, Agra

प्राप्त ... 17.4.17
जिला बेसिक शिक्षा अ. ...
लिपिक

Scanned with CamScanner

कार्यालय-- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आगरा।

पत्रांक / मान्यता / अं0मा0 / हि0मा0 / 13448–54 / 2014–15 दिनांक– 16.03.2015

प्रबन्धक,

श्री राम इन्टरनेशनल स्कूल,

पनवारी अछनेरा, आगरा।

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए अंग्रेजी माध्यम का मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके दिनांक 30.10.2014 के आवेदन श्री राम इन्टरनेशनल जू0हा0स्कूल, पनवारी, अछनेरा, आगरा (विद्यालय का नाम,पते सहित) को दिनांक 01.04.2015 से दिनांक 31.03.2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा आठ तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने के अध्याधीन हैः–

1– मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / सबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2– विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधो का पालन करेगा।

3– विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा मे बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4– पैरा 3 मे निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधरा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5– सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6– विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

(1) प्रवेश दिए गये किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नही किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

(3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उतीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

(5) अधिनियम के अपबंध के अनुसार निःशक्तता प्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताए अर्जित करेंगे।

(7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है:और

(8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7– विद्यालय समुचित प्राधिकारी व्द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8–विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार है:–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल – 10370 वर्ग मीटर

कुल निर्मित क्षेत्र – 2883.43 वर्ग मीटर

क्रीडा–स्थल का क्षेत्रफल – 7486.57 वर्ग मीटर

कक्षाओं की संख्या – 20

प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह भांडागार के लिए कक्ष – 01–01

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय – 04–04

पेयजल सुविधा – समर सेबिल, पानी की टंकी नल सहित

मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई – 01

बाधारहित पहुच – डाबर रोड़

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता – है।

9– विद्यालय के परिसरो के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

10– विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11– विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी व्द्वारा या तत्सयम प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

Scanned with CamScanner

12– स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13– विद्यायल के लेखों की किसी चार्टड आकाउण्टेन्ट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिए और उसके व्दारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14– आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 13448–54 हैं। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्या का उल्लेख करें।

15– विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी व्दारा अपेक्षित हो और संमुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

16– सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

17– प्रत्येक कक्षानुभाग में प्रति छात्र 09 वर्ग फीट की दर से स्थान उपलब्ध होगा। प्रत्येक कक्षा–कक्ष में कम से कम 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होगी। यदि कक्षा–कक्ष के माप के अनुसार बच्चों का प्रवेश नहीं किया जाएगा अर्थात् अधिक बच्चे प्रवेश किए जायेगें तो मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जाएगी।

18– संलग्न उपबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

(ओउम्कार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
आगरा।

पृष्ठाकन संख्या/मान्यता/13448–54/2014–15 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 निशातगंज, लखनऊ।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0, इलाहाबाद।
3– अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक), शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 इलाहाबाद।
4– मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक),आगरा।
5– समाज कल्याण अधिकारी, आगरा।
6– सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी (ग्रामीण/नगर) जनपद आगरा।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
आगरा।

Scanned with CamScanner